

(श्री दिगम्बर जैन कुन्दकुन्द कहान आत्मार्थी ट्रस्ट द्वारा संचालित)

'अध्यात्मतीर्थ' आत्म साधना केन्द्र

घेवरा मोड, रोहतक रोड, नई दिल्ली-110041, फोन 9891050173 9310761100

E-mail - aatmarthi.trust@gmail.com Website : [www.atmarthytrust.org](http://www.atmarthytrust.org)

आवेदनपत्र-2017-2018

(आवेदक कन्या अपना व अपने पिता-माता का नाम स्कूल सर्टिफिकेट  
के अनुसार अंग्रेजी भाषा में भरें।)

कन्या का नाम ..... जन्मतिथि .....

छात्रा का वर्तमान  
फोटो लगायें

पिता का पूरा नाम ..... शिक्षा..... जन्मतिथि .....

माता का नाम ..... शिक्षा..... जन्मतिथि .....

घर का स्थायी पता .....

.....पिन कोड

फोन (कोड सहित) मो.

पिता एवं माता / संरक्षक का व्यवसाय ..... मासिक आय .....

परिवार के सदस्यों का विवरण .....

मातृभाषा ..... अन्य कौन सी भाषा जानते हैं? .....

अध्ययनरत विद्यालय का नाम .....

संबंधित बोर्ड का नाम .....

जिस कक्षा में अध्ययनरत है उससे पूर्व कक्षा का विवरण ..... माध्यम (अंग्रेजी / हिन्दी / अन्य)

वर्तमान कक्षा में अध्ययनरत परीक्षा का परिणाम (यदि प्राप्त हो तो) .....

यदि किसी धार्मिक विषय की परीक्षा दी है तो उसके विषय .....

किन-किन वस्तुओं का त्याग है .....

विशेष रुचि किन कार्यों एवं खेलकूद में है .....

कैश / डिमांड ड्राफ्ट (DD) नं. .... बैंक का नाम ..... राशि .....

पूर्व बीमारी हो तो उसका नाम एवं विवरण .....

हीमोग्लोबिन एवं ब्लड ग्रुप ..... किसी दवा से एलर्जी हो तो उसका नाम .....

वजन ..... लम्बाई ..... आँखों की जांच की रिपोर्ट.....

MBBS डॉक्टर का स्वस्थता प्रमाणपत्र एवं कोई पुराना टैस्ट रिपोर्ट हो तो संलग्न करना आवश्यक है।

(कोई भी रिपोर्ट तीन माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए।)

कृपया नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही हस्ताक्षर करें।

दिनांक .....

हस्ताक्षर कन्या.....

## पिता/संरक्षक स्वीकृति-पत्र

यह कन्या लौकिक रिश्ते से मेरी ..... है।

मैंने 'आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन' के सभी दिशा निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लिया है। मुझे विद्या निकेतन के संपूर्ण नियम स्वीकार हैं। मैं स्वेच्छा से अपनी कन्या को यहां प्रवेश दिलाना चाहता हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ कि छात्रा ने आवेदन-पत्र स्वयं भरा है तथा कन्या द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी सही है।

मैं अपनी ओर से संस्था को आश्वस्त करता हूँ कि मेरी कन्या आपकी संस्था के वर्तमान नियमों तथा समय-समय पर परिवर्तित नियमों, सूचनाओं तथा अनुशासन का अवश्य पालन करेगी। यदि कोई नियम विरुद्ध कार्य करती है तो अधिकारियों द्वारा दिया गया दण्ड उसे मान्य होगा। मेरी कन्या की उचित अनुचित सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए मैं/हम पूर्णतः जिम्मेदार हूँ/हूँ।

हस्ताक्षर पिता/संरक्षक

नाम.....

## कन्या के संबंध में दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रमाणीकरण

हम प्रमाणित करते हैं कि कन्या और उसके पिता/संरक्षक ने जो उपरोक्त विवरण दिया है वह सही है। यह कन्या आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन में प्रवेश पाने योग्य है।

नाम .....

नाम .....

व्यवसाय/पद/ .....

व्यवसाय/पद/ .....

पता .....

पता .....

फोन/मोबाइल

फोन/मोबाइल

हस्ताक्षर .....

हस्ताक्षर.....

### नोट

आवेदन पत्र भरते समय कन्या की चार फोटो अवश्य संलग्न करें।

पिता/संरक्षक आय से संबंधित विवरण यथार्थ भरें।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2017 होगी।

प्रवेश फॉर्म के साथ में 300/-रु. का डिमांड ड्राफ्ट (DD) 'आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन' बहादुरगढ़.

(हरियाण)के नाम बनवाकर भेजें या फॉर्म के साथ नकद भी जमा करवा सकते हैं।

प्रवेश फॉर्म स्वयं अथवा रजिस्टर्ड डाक (स्पीड पोस्ट) द्वारा कार्यालय के पते पर जमा होना चाहिए।

## आत्मार्थी कन्या विद्यानिकेतन में प्रवेश हेतु नियमावली

कन्या एवं अभिभावक से निवेदन है कि वे निम्न दिशा निर्देशों को ठीक प्रकार से पढ़ लें तथा स्वीकृत होने पर ही आवेदन करें। (आत्मार्थी कन्या विद्यानिकेतन के समस्त ट्रस्टीगण एवं निर्देशिका की अनुमति द्वारा यथायोग्य परिवर्तन समय-समय पर किये जा सकते हैं।)

### प्रवेश प्रक्रिया

- 1 नवीन सत्र का शुभारंभ 2 अप्रैल 2017 से किया जाएगा।
- 2 आत्मार्थी कन्या विद्यानिकेतन में प्रवेश कक्षा 8वीं के पश्चात् होता है।
- 3 9वीं से 12वीं तक चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम से कराया जाता है।
- 4 कक्षा 8वीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कन्याओं को ही मार्च माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित साक्षात्कार शिविर में आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें कन्या एवं उसके अभिभावक को आना अनिवार्य है।
- 5 प्रतिवर्ष कक्षा नवमी में 15 कन्याओं का प्रवेश साक्षात्कार शिविर के माध्यम से किया जाता है।
- 6 साक्षात्कार शिविर के अंतर्गत लौकिक एवं धार्मिक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। प्रवेश प्रक्रिया में आपके परीक्षाफल, प्रतिभा संपन्नता, आध्यात्मिक रुचि आदि सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा, जिसके आधार पर विद्यानिकेतन में प्रवेश दिया जाएगा।
- 7 साक्षात्कार शिविर में आने वाली कन्या व अभिभावक को स्वयं अपने व्यय (खर्च) पर आना होगा।
- 8 विद्यानिकेतन में प्रवेश प्राप्त कन्याओं की सूची साक्षात्कार शिविर के अंतिम दिन सूचनापट्ट पर लगाई जाएगी। अप्रवेश प्राप्त कन्याओं को कारण बताने के लिए संस्था बाध्य नहीं है।

### आवश्यक नियम

- 1 कन्या को लौकिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ विद्यानिकेतन द्वारा निर्धारित नैतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा एवं धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य होगा।
- 2 विद्यानिकेतन में संचालित धार्मिक कक्षाओं की वार्षिक/अर्द्धवार्षिक/साप्ताहिक परीक्षाएं ली जाएंगी। जो जिस पाठ्यक्रम में असफल होगी उसे दण्ड स्वरूप उस पाठ्यक्रम में जितना समय लगा है उतने समय का भोजन शुल्क देना होगा।
- 3 कन्या को विद्यानिकेतन में अभक्ष्य भक्षण, बिना छना जल, रात्रि भोजन, सप्त व्यसनों का त्याग, सामान्य अष्ट मूलगुणों का पालन और संपूर्ण शिक्षा काल तक शीलव्रत का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 4 कन्या को अधिका के निर्देशन में विद्यानिकेतन की निर्धारित दिनचर्या का पालन व सभी प्रकार के कार्य अपने हाथों से करने होंगे, जिससे वह प्रत्येक कार्य करने में कुशलता प्राप्त कर सके।
- 5 कन्या को अधिका द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर ही रहना होगा। स्वेच्छा से स्थान परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- 6 कन्या स्वयं अपने आवास, आसपास के स्थान, स्नानगृह आदि में स्वच्छता बनाये रखे।
- 7 कन्या को अपने पास रखने वाले सामान की सूची अधिका महोदया को देनी होगी।
- 8 कन्या नकदी या जोखिम अपने पास न रखकर कार्यालय में जमा कराये। अन्यथा खो जाने पर उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

- 9 कन्या को अपने कमरे में ट्यूबलाइट, पंखे व कूलर के अलावा बिजली का हीटर, रेडियो, टेप, वॉकमैन, कैमरा, वीडियो—गेम, मोबाइल आदि का उपयोग निषिद्ध है।
- 10 विद्यानिकेतन में रहने वाली कन्याओं को निर्धारित वेशभूषा में ही रहना अनिवार्य है।
- 11 अभिभावक 15 दिन में एक बार रविवार को फोन पर बात कर सकते हैं एवं छात्रा से 3 माह के अंतराल से एक बार ही आकर मिलने की अनुमति है। आने की सूचना देना अनिवार्य है आने पर अधिका की अनुमति से ही छात्रा से मिलें।
- 12 अभिभावक को सूचनानुसार बुलाये जाने पर विद्यानिकेतन में आना अनिवार्य है।
- 13 विद्यानिकेतन के निश्चित अवकाश के अतिरिक्त अवकाश हेतु अधिका की लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। बिना सूचना विद्यानिकेतन से बाहर जाना यह एक दण्डनीय अपराध माना जाएगा। यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं कन्या एवं उसके अभिभावक की होगी।
- 14 कन्या को लौकिक शिक्षा हेतु चयनित विद्यालय के दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करना होगा, निर्देशिका की अनुमति अनिवार्य है।
- 15 कन्या को स्वीकृत लौकिक शिक्षा के अलावा ट्यूशन हेतु निर्देशिका की लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
  - अ – जिस ट्यूशन से धार्मिक गतिविधियाँ बाधित हो उस ट्यूशन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - ब – जिस विषय की ट्यूशन की व्यवस्था संस्था में है उसके लिए बाहर नहीं भेजा जायेगा।
  - स – इंजीनियरिंग, प्रीमेडिकल आदि कोचिंग की अनुमति नहीं है।
  - द – लौकिक शिक्षा व ट्यूशन फीस एवं ट्यूशन के आवागमन का खर्च अभिभावक को वाहन करना करना होगा।
- 16 यदि कोई कन्या किसी कारणवश विद्यानिकेतन बीच में ही छोड़कर जाती है तो उसके बाद के शेष वर्षों का प्रतिवर्ष खर्च 25000 रुपये के हिसाब से राशि जमा करने के पश्चात् ही कन्या को विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- 17 अभिभावक को तीन दिन से अधिक संस्था में रुकने की अनुमति नहीं है। जो अभिभावक परिसर में उपस्थित है उन्हें धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य होगा।
- 18 विद्यानिकेतन के नियमों की अवहेलना करने पर कन्या को निष्काषित भी किया जा सकता है। जिसकी सूचना अभिभावक को दे दी जाएगी।

#### **आवश्यक निर्देश**

- 1 विद्यानिकेतन में मात्र धार्मिक शिक्षा, भोजन, आवास व विद्यालय आवागमन व्यवस्था ही निःशुल्क है।
- 2 विद्यानिकेतन में कन्याओं के शारीरिक विकास हेतु व्यायाम, खेलकूद, योगा आदि की सुविधा रहेगी।
- 3 विद्यानिकेतन में कन्याओं के सर्वांगीण विकास हेतु प्रवचन, कक्षा, साप्ताहिक गोष्ठियाँ, भाषण, वाद—विवाद, भजन, संगीत आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन समय—समय पर किया जाएगा।
- 4 विद्यानिकेतन में कन्याओं के मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु पुस्तकालय, कम्प्यूटर व संगीत शिक्षा आदि की व्यवस्था रहेगी।
- 5 विद्यानिकेतन में अंग्रेजी, प्राकृत एवं संस्कृत आदि भाषाओं की शिक्षा जाएगी।
- 6 कन्या को शिविर या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु स्थानीय या बाहर के अन्य क्षेत्रों में भेजा जा सकता है।
- 7 कन्या संस्था के किसी कर्मचारी से फोन करने हेतु या आने—जाने की व्यवस्था हेतु निजी संपर्क ना करें।